जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 74वीं बैठक दिनांक 27-10-2004 को प्रातः 11.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 2 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरणः-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती नलिनी कटौतियां, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवारी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री तेजसिंह राठौड, उप नगर नियोजक, जोन-5, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः-

एजेण्डा सं0 1 :- पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना नं0 2 के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। योजना में आवासीय क्षेत्रफल 81.33% है तथा भूखण्डों के मध्य 20'-0'' चोडी सडक ही उपलब्ध है इसलिए समिति के विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया कि 20'-0'' सडक की चोडाई 30'-0'' किए जाने हेतु भूखण्डधारियो से वार्ता करे। भूखण्डधारियों द्वारा सडक की चोडाई 30'-0'' किए जाने में सहमति हो तो प्रकरण को पुनः भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

एजेण्डा सं0 2 :- गुलाब बाडी गृ0नि0स0स0 की योजना अशोक नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पश्चात निम्न शर्तो के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. व्यवसायिक को आवासीय में भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के पश्चात ही केम्प आयोजित करें।
2. नाले से योजना के मध्य की दूरी 75.00 मीटर रखने के पश्चात योजना को स्वीकृत करे।
3. हाइटेन्शन लाइन व अजमेर रोड के मध्य के भूखण्डो को अस्वीकृत करें।
4. योजना के भूखण्ड संख्या 5 ए व 27 ए धर्म पार्क योजना से ओवर लेप है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें।
5. अन्दर की सडको की चोडाई कम से कम 30'-0'' की जावे।

6. भूखण्ड संख्या 40 बी, 40, 17 ए, 14, 7 ए में सैटबैक छोडने के पश्चात आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नही होता है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें।
7. भूखण्ड संख्या 5 से 10, 13, 14, 20 हाइटेन्शन लाइन से प्रभावित है इसलिए इनको अस्वीकृत किया जावे तथा आशिंक भूखण्ड संख्या 24, 25, 63 को अस्वीकृत किया जावें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी-162
दिनांक :- 04/11/04

प्रतिलिपि :-
1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।